

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962-230065, फ़ैक्स: 05962-232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 521 / 12-02 दिनांक, अल्मोड़ा 28-02, 2015

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय:- कुनीगाड़-हिरुली बाजार से रामपुर-चौखुटिया मोटर मार्ग (प्रस्ताव सं0 8986/2015)

संदर्भ:- आपका पत्रांक 159/12-1 दिनांक 13.06.2015

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रानीखेत द्वारा अपने पत्रांक 1668/18सी0 दिनांक 21.07.2015 से बिन्दु सं0 1, 2, 3 व 5 की आपत्ति निराकरण सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। जिसे मूल में मय संलग्नकों सहित आपको ऑन लाइन/हार्ड कापी सहित प्रेषित किया जा रहा है तथा बिन्दु सं0 4 व 6 का निराकरण इस कार्यालय से ऑन लाइन प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीया,


(नीतू लक्ष्मी एम0)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

पत्रांक 521 / तददिनांकित,

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रानीखेत को सूचनार्थ प्रेषित।

(नीतू लक्ष्मी एम0)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

कार्य का नाम :- कुनीगाड हिरुली बाजार मोटर मार्ग का रामपुर चौखुटिया तक
 विस्तार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु
 चयनित स्थल :- भटकोट सिविल



Legend


— Planction Area



[Signature]
 सहायक अभियन्ता
 मि० खण्ड, लो० मि० विभाग
 रानीखेत

[Signature]
 अधिकारी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो० मि० विभाग
 रानीखेत

कार्य का नाम :- कुनीगाड हिरुली बाजार मोटर मार्ग का रामपुर चौखुटिया तक विस्तार मोटर मार्ग का निर्माण



Legend

- Main Allingment
- Existing Road

Handwritten signature
 सहायक आमयन्त्र
 पिठ कार. जोड पिठ विड
 रानीखेत

Handwritten signature
 अधशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो०नि० विभाग
 रानीखेत

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति ~~एन सी गण्ड हिल्स का जंगल ओरमण का रामपुर दोन्ही में तक विस्तार~~

(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र ~~उत्तराखण्ड~~

(ii) जिला ~~कालासोल~~

(iii) जिला वन प्रभाग ~~कालासोल वन प्रभाग कालासोल~~

(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र - 1,350 हे.ए.

17. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति: - ~~वन पंचायत भूमि~~

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा: ~~चीड़ वृक्ष,~~

(i) वन का प्रकार ~~डेन्स फॉरेस्ट~~

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व - 4

(iii) प्रजातितार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना ~~संलग्न है~~

(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा - ~~कोई नहीं~~

19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी ~~भूक्षरण की स्थिति~~

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी: 1.50 K.M. ~~नहीं~~

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता: ~~निर्णय नहीं~~

(i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा: ~~महत्वपूर्ण वन्य जीव नहीं~~

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव उत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) ~~नहीं~~

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) ~~नहीं~~

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) ~~नहीं~~

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे ~~नहीं~~

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन गो सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) ~~नहीं~~

1. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका मणियां दें: ~~विस्तार बर्तक में अज्ञात।~~

क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। ~~अपरिहार्य क्षेत्र न्यूनतम वन भूमि है।~~

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। है

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही नहीं

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रारिथति। स्थिति एवं क्षेत्र वन भूमि

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। स्थिति एवं क्षेत्र वन भूमि

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं। है

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : संलग्न है

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न हैं (हां/नहीं)।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

स्वीकृति संसूचित की जाती है।

स्थान: अहमदाबाद

तारीख: 14-3-2015

हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा
प्रभागीय इन्सपेक्टर,
अहमदाबाद वन प्रभाग, अहमदाबाद

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में कुनागाड हिरुली बाजार मोटर मार्ग का रामपुर चौखुटिया तक विस्तार मोटर मार्ग का निर्माण

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 20.10.2014 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री बिक्रम सिंह कैंडा, राजस्व विभाग की ओर से श्री राजस्व उपनिरीक्षक प्रस्तावक विभाग की ओर से श्रीमती शिवानी सैनी कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.000 हे०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.000 हे०, वन पंचायत भूमि 1.35 हे० एवं नाप भूमि 0.450 हे० प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है).....

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

(कोमल शर्मा)

अधिष्ठासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

पटवारी

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रति हस्ताक्षरित

जिला अधिकारी
जिलाधिकारी

व. व. अधिकारी
रानीखेत

तहसीलदार
चौखुटिया (अल्मोड़ा)

उपनिरीक्षक
चौखुटिया (अल्मोड़ा)

प्रति हस्ताक्षरित

वन, दसरोडा

वन क्षेत्राधिकारी

उपप्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
पौरासी वन क्षेत्र (अल्मोड़ा)

वन क्षेत्राधिकारी
पौरासी वन क्षेत्र

उपप्रभागीय वनाधिकारी

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा